EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA: PART II, SECTION 3, SUB SEC. (i)

Appearing on Page No.: 137-166

Dated: 19-1-2002

वित्त मंद्रालय MINISTRY OF FINANCE

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 प्रक्तूबर, 2001

ा सा. का. नि. 21 — राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तिओं का प्रयोग करते हुए कि सा. का. नि. 21 — राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तिओं का प्रयोग करते हुए कि प्राप्त पदार्थ दिनाग (सगूह 'ग' और सनूह 'ग' अपूह 'व' पद से है, उन वातों के सिवाए अधिकांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिकमण से पहले किया गया है या करने कि किया गया है या करने कि किया गया है या करने कि किया गया है सा करने हैं सा करने किया गया है सा करने हैं सा करने किया गया है सा करने हैं सा करने किया गया है सा करने हैं सा करने किया गया है सा करने हैं सा करने किया गया है सा करने किया गया है सा करने किया गया है सा करने हैं सा करने किया गया है सा करने किया गया है सा करने किया गया है सा करने हैं सा करने किया गया है सा किया गया है सा करने किया है सा किया गया है सा करने किया गया है सा किया है स

ि संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :---(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वापक पदार्थ विमाग (समूह 'ग' पद) भर्ती - ृ01है।

- (2) ये राजपत में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. सागू होना :--ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।
- पद-संख्या, वर्गीकरण और वैतनमान :──उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वैतनमान वे होंगे, जो निध्यों से उपायद ग्रनुसूची के स्तंभ 3 से स्तंभ 5 में विनिदिष्ट हैं।
- 4. भर्ती की पढ़ित, श्रायु-सीमा, ग्रर्हताएं श्रादि :--उक्त पदों पर भर्ती की पढ़ित, श्रायु-तीमा, ग्रर्हताएं और उनते संबंधित बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त श्रनुसूची के स्तंभ (6) से स्तंभ (14) में विनिर्दिण्ट हैं।
 - विशेष उपवंध : इन नियमों में किसी वात के होते हुए भी, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड :—
 - (क) यदि वह लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे और ऐसी शर्तों के अवीन रहते हुए, जैसा वह मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, और उनके लिए जो कारण है, उन्हें लेखबढ़ करके, विनिद्धिक करे, स्वापक पदार्थ विभाग में किसी पद को, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड के अवीन उसी था समतुल्य किन्तु अन्य विभाग या कार्यालय के काडर के पद धारण करने वाले व्यक्तियों के आमेजन द्वारा भरे जाने का धादेश दे सकता है;
 - (ख) यदि वह अनुकंपा के झाधार पर आवश्यक या समीचीन समझे, स्वापक पदार्थ विभाग में किसी पद को, जिसे इन नियमों के अवीन सीबी भर्ती द्वारा भरा जाना है, केन्द्रीय उत्पाद गुल्क और सीमा मुल्क बोई के अवीन किसी अन्य विभाग या कार्याला के उती या समतुल्य या उच्चतर पद धारण करने वाले किसी व्यक्ति के आमेलन या प्रतिनिधिक्त द्वारा ऐसी शर्तों के अवीन रहते हुए भरे जाने का आदेश दे सकता है जैसी मामले की वह परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विनिद्धिक की आएं।
- 6. निरईता :--वह व्यक्ति--
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या
 - ्ध) जिसने घपने पति या घपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

11 6

tion um

11 6

e re

lên

डक्त पद पर नियुक्ति का पाल नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के श्रन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के प्रधीन प्रनुत्रिय है और ऐसा करने के लिए ब्रन्य आधार हैं तो यह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छुट दे सकेगी।

 शायिल करने की शक्ति :--जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना प्रावश्यक या समीचीन है, वहां यह ष्ठसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबढ़ करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बावत, भादेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

৪. च्यावृत्ति :---इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं ड्रालेकी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए ब्रादेशों के ब्रनुसार ब्रनुसूचित जातियों, ब्रनुसूचित जन-णातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपवंध करना अमेक्षित है।

		ग्रन् सूची			·		
पद का नाम	पदों की संख्या		वर्गीकरण		वेतनमान		
1 .	2		3		4		
निरोक्षफ	177* *कार्यभार के आध किया जा सकता		साधारण केन्द्रीय सेवा, सन् श्रराजपत्नित, श्रननुसचित्री		5000-175-8000		
,					L		
भोग्यता के श्राधार पर जनन या ग पन-सह-ज्येष्ठता	सीधे भर्ती (कए जाने वाले व्यवि	स्तयों के लिए ग्रायु-सीमा	केन्द्रीय नियम			
.5		6			7		
चयन-सह-ज्येष्ठता		18-27	वर्ष		नहीं		
हो भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों		झक और ग्रन्थ ग्रर्ह्	ताएं सीबे भर्ती किए ज व्यक्तियों के लिए ग्रायु और शैक्षिक प्रोन्नत व्यक्तियों में लागू होंगी या	विहित ग्रहेताएं की दशा	परिवीक्षा की श्र कोई हो		
	8		9		10		
— ती माध्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से यंग ः ग्रम्पर्यी ग्रपेक्षित शारीरिय दिञ्ड शारीरिक परीक्षा में उत्तीर्ण	क मानकों के अनुरूप [ः]	और नीचे यथा वि	नहीं ि:-	20 2	सीधे भर्ती किए ज व्यक्तियों के लिए हैं		
) पुरुष धम्पवियों के लिए) धारीरिक स्तर (न्यूनतम्) जम्बाई—- 157,5 से. मी. सीना—- 81 से. मी. नतमं 5 से. मी. पूरा फुलाकर्)	श्रनुसूचित की दशा शिथिलनी	श्रसमी, गोरखा जनजाति के स में 5 से. मी. पहैं।	दस्यों				

R

(ii) शारीरिक परीक्षा चलना—- 15 मिनट में 1600 मीटर साईकिल—- 30 मिनट में 8 किलोमीटर

(ख) महिला अभ्याथियों के लिए--

(i) शारीरिक स्तर (न्यूनतम)
 लम्बाई—152 से. मी.
 वजन—48 किलो ग्राम

गढ़वाली, श्रसमी, गोरखा और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की दशा में 2.5 से.मी.की ऊंचाई और 2 किलोग्राम का कजन तक िशिलनीय है।

(ii) शारीरिक परीक्षा

चलना—- 20 मिनट में 1 किलोमीटर साईकिल चलानां—- 25 मिनट में 3 किलोमीटर

भतीं की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोग्नति द्वारा या प्रतिनियुनित/ स्रामेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता प्रोन्नित/प्रतिनियुक्ति/ग्रामेलन द्वारा भर्ती की दशा में श्रेणियां जिनसे प्रोन्नित/प्रतिनियुक्ति/ग्रामेलन किया जाएगा

1 1

- (i) 33.33 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।
- (ii) 33.33 प्रतिगत उच्च श्रेणी लिपिक/ग्राशुलिपिक श्रेणी III भोत्रति द्वारा।
- (iii) 33.33 प्रतिशत उप िरीक्षक की श्रेणी में प्रोन्नति द्वारा।
- (1) प्रोन्नति : ऐसे उच्च श्रेणी लिपिक/ग्राशुलिपिक (श्रेणी III) जिसने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की

12

(2) ऐसे उप निरीक्षक जिन्होंने चयन-सह-ज्येष्टता के ग्राधार पर उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है।

टिप्पण : ग्रभ्यर्थी प्रनेक्षित शारीरिक मानकों के अनुरूप हों और स्तंभ 8 के ग्रवीन टिप्पण में यथा विनिर्दिष्ट शारीरिक परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए और केन्द्रीय उत्पाद शुक्क और सोमा शुक्क बोर्ड द्वारा समय-समय पर ग्रधिकथित ऐसी ग्रायु सीमाएं पूर्ण करते हों।

यदि विमागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना

भर्ती करते में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएना

13

14 नागू नहीं होता

समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति

---ग्रध्यक्ष ग्रपील

स्वापक ग्रायुक्त

2. सहायक ग्रायकर ग्रायक्त

—सदस्य

3. सभी तीन उप स्वापक आयुक्त

---सदस्य

टिप्पण : जहां उपरोक्त में कोई ग्रधिकारी अनुपूचित जाति/ अनुपूचित जनजाति का न हो तत्र अनुपूचित जाति/अनु-सूचित जनजाति के प्रवर्ग से संबंधित विभाग से बाहर के श्रेणी 'क' ग्रधिकारी को विभागीय प्रोन्नति समिति के सदस्य के रूप में सहयुक्त किया जाएगा।

4. रासार्थानंक परीक्षक श्रेणी I

-सर्वस्य

13	14	
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्निति समिति	लागू नहीं होता	1.546 E
 स्वापक ग्रायुक्त/कारखानों का मुख्य नियंत्रक ग्रध्यक्ष 		
(जो भी ज्येष्ठ हो)	and the second	
 स्वापक आयुक्त/कारखानों का मुख्य नियंत्रक —सदस्य 		
(जो भी कनिष्ठ हो)		
 उप स्वापक ग्राय्क्त (या) भारतीय ग्रफीम 		
भौर घल्कालागड वर्क्स उपक्रम महाप्रवंधक या		
सहायक स्वापक ग्रायुक्त (मुख्यालय) —सदस्य		
(किसी के भी ग्रधिकारिता के मामले विचार के लिए)		
टेप्पण : जहां उपरोक्त में कोई अधिकारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित		
जनजाति के प्रवर्ग से संबंधित विभाग से वाहर के श्रेणी		
'क' अधिकारी को विभागीय प्रोन्नति समिति के सदस्य		V. 175
के रूप में सहयुक्त किया जाएगा ।		
	3	4
1 2	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग'	5000-175-8000₹.
उप कार्यालय ग्रघीक्षक स्तर-I 6*	ग्रराजपत्रित, ग्रनुसचिवीय	
(2000) *कार्यभार के ग्राधार पर परिवर्तन	ACIMINAL AS	
क्तायभार के आधार पर पारपता किया जा सकता हैं ।		
किया जा तनता है।		7
5	्र स्थान	नहीं
चयन-सह-ज्येष्ठता लागू	नहीं होता	
8	9 लागू नहीं होता	10 लागू नहीं होता
	(d) 41 421 2 101	Million Grant
लागू नहीं होता	11.2.16.6	
		2
11	ांसे उप कार्यालय ग्रधीक्षक	तर-II/ब्राश् लिपिक (श्रेणी]
11	ांसे उप कार्यालय ग्रधीक्षक	तर-II/ब्राश् लिपिक (श्रेणी]
11	ांसे उप कार्यालय ग्रधीक्षक	तर-II/ब्राश् लिपिक (श्रेणी]
11 प्रोन्नति द्वारा	ऐसे उप कार्यालय ग्रधीकक में से जिन्होंने उस श्रेण	तर-II/ब्राश् लिपिक (श्रेणी]
11 प्रोन्नति द्वारा 13	ऐसे उप कार्यालय ग्रधीक्षक में से जिन्होंने उस श्रेण की है।	तर-II/ब्राश् लिपिक (श्रेणी]
11 प्रोन्नति द्वारा 13	ऐसे उप कार्यालय ग्रधीक्षक में से जिन्होंने उस श्रेण की है।	तर-II/ब्राश् लिपिक (श्रेणी]
11 प्रोन्नति द्वारा 13 समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति 1. स्वापक ग्रायुक्त/कारखानों का मुख्य नियंत्नक —ग्रध्यक्ष	ऐसे उप कार्यालय ग्रधीक्षक में से जिन्होंने उस श्रेण की है।	तर-II/ब्राश् लिपिक (श्रेणी]
11 प्रोन्नति द्वारा 13 समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति 1. स्वापक ग्रायुक्त/कारखानों का मुख्य नियंत्रक —ग्रध्यक्ष (जो भी ज्येष्ठ हो)	ऐसे उप कार्यालय ग्रधीक्षक में से जिन्होंने उस श्रेण की है।	तर-II/ब्राशुलिपिक (श्रेणी)
11 प्रोन्नति द्वारा 13 समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति 1. स्वापक श्रायुक्त/कारखानों का मुख्य नियंत्नक —ग्रध्यक्ष (जो भी ज्येष्ट हो) 2. स्वापक श्रायुक्त/कारखानों का मुख्य नियंत्नक —सदस्य	ऐसे उप कार्यालय ग्रधीक्षक में से जिन्होंने उस श्रेण की है।	तर-II/ब्राशुलिपिक (श्रेणी)
11 प्रोन्नित द्वारा 13 समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नित समिति 1. स्वापक श्रायुक्त/कारखानों का मुख्य नियंत्रक — ग्रध्यक्ष (जो भी ज्येष्ठ हो) 2. स्वापक श्रायुक्त/कारखानों का मुख्य नियंत्रक — सदस्य (जो भी कनिष्ठ हो)	ऐसे उप कार्यालय ग्रधीक्षक में से जिन्होंने उस श्रेण की है।	तर-II/ब्राशुलिपिक (श्रेणी)
11 प्रोन्नित द्वारा 13 समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नित समिति 1. स्वापक श्रायुक्त/कारखानों का मुख्य नियंत्रक — ग्रध्यक्ष (जो भी ज्येष्ट हो) 2. स्वापक श्रायुक्त/कारखानों का मुख्य नियंत्रक — सदस्य (जो भी कनिष्ठ हो) 3. जप स्वापक ग्रायक्त (या) भारतीय अफीम	ऐसे उप कार्यालय ग्रधीक्षक में से जिन्होंने उस श्रेण की है।	तर-II/ब्राशुलिपिक (श्रेणी)
11 प्रोन्नित द्वारा 13 समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नित समिति 1. स्वापक श्रायुक्त/कारखानों का मुख्य नियंत्रक —ग्रध्यक्ष (जो भी ज्येष्ट हो) 2. स्वापक श्रायुक्त/कारखानों का मुख्य नियंत्रक —सदस्य (जो भी कनिष्ठ हो) 3. उप स्वापक श्रायुक्त (या) भारतीय अफीम श्रीर श्रह्मालायड वक्सं उपक्रम महाप्रवंधक या	ऐसे उप कार्यालय ग्रधीक्षक में से जिन्होंने उस श्रेण की है।	तर-II/ब्राश् लिपिक (श्रेणी]
11 प्रोन्नित द्वारा 13 समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नित समिति 1. स्वापक श्रायुक्त/कारखानों का मुख्य नियंत्रक — ग्रध्यक्ष (जो भी ज्येष्ट हो) 2. स्वापक श्रायुक्त/कारखानों का मुख्य नियंत्रक — सदस्य (जो भी कनिष्ठ हो) 3. उप स्वापक श्रायुक्त (या) भारतीय अफीम श्रीर श्रव्कालायड वक्सं उपक्रम महाप्रवंधक या सहायक स्वापक श्रायक्त (मृथ्यालय) — सदस्य	ऐसे उप कार्यालय ग्रधीक्षक में से जिन्होंने उस श्रेण की है।	तर-II/ब्राश् लिपिक (श्रेणी]
13 समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नित समिति 1. स्वापक श्रायुक्त/कारखानों का मुख्य नियंत्रक — ग्रध्यक्ष (जो भी ज्येष्ट हो) 2. स्वापक श्रायुक्त/कारखानों का मुख्य नियंत्रक — सदस्य (जो भी कनिष्ठ हो) 3. उप स्वापक श्रायुक्त (या) भारतीय अफीम श्रीर ग्रन्कालायड वक्सं उपक्रम महाप्रवंधक या सहायक स्वापक श्रायुक्त (मुख्यालय) — सदस्य (किसी के भी श्रधिकारिता के मामले विचार के लिए है)	ऐसे उप कार्यालय ग्रधीक्षक में से जिन्होंने उस श्रेण की है।	तर-II/ब्राश् लिपिक (श्रेणी]
प्रोन्नित द्वारा 13 समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नित समिति 1. स्वापक श्रायुक्त/कारखानों का मुख्य नियंत्रक — ग्रध्यक्ष (जो भी ज्येष्ट हो) 2. स्वापक श्रायुक्त/कारखानों का मुख्य नियंत्रक — सदस्य (जो भी कनिष्ठ हो) 3. उप स्वापक श्रायुक्त (या) भारतीय अफीम श्रीर ग्रस्कालायड वक्सं उपक्रम महाप्रवंधक या सहायक स्वापक श्रायुक्त (मुख्यालय) — सदस्य (किसी के भी श्रधिकारिता के मामले विचार के लिए है) टिप्पण: जहां उपरोक्त में कोई श्रधिकारी श्रनुसुवित जाति/अनुसुवित	ऐसे उप कार्यालय ग्रधीक्षक में से जिन्होंने उस श्रेण की है।	तर-II/ब्राश् लिपिक (श्रेणी]
प्रोन्नित द्वारा 13 समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नित समिति स्वापक श्रायुक्त/कारखानों का मुख्य नियंत्रक — ग्रध्यक्ष (जो भी ज्येष्ठ हो) स्वापक श्रायुक्त/कारखानों का मुख्य नियंत्रक — सदस्य (जो भी कनिष्ठ हो) उप स्वापक श्रायुक्त (या) भारतीय अफीम श्रीर ग्रस्कालायड वर्क्स उपक्रम महाप्रवंधक या सहायक स्वापक श्रायुक्त (मुख्यालय) — सदस्य (किसी के भी ग्रधिकारिता के मामले विचार के लिए है) टिप्पण : जहां उपरोक्त में कोई ग्रधिकारी ग्रनुसूवित जाति/ग्रनुसूचित जनजाति से सवंधित विभाग से बाहर के श्रेणी 'क'	ऐसे उप कार्यालय ग्रधीक्षक में से जिन्होंने उस श्रेण की है।	तर-II/ग्राश् लिपिक (श्रेणी I
13 समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नित समिति 1. स्वापक श्रायुक्त/कारखानों का मुख्य नियंत्रक — ग्रध्यक्ष (जो भी ज्येष्ट हो) 2. स्वापक श्रायुक्त/कारखानों का मुख्य नियंत्रक — सदस्य (जो भी कनिष्ठ हो) 3. उप स्वापक श्रायुक्त (या) भारतीय अफीम श्रीर श्रव्कालायड वक्सं उपक्रम महाप्रवंधक या सहायक स्वापक श्रायुक्त (मुख्यालय) — सदस्य (किसी के भी श्रधिकारिता के मामले विचार के लिए है) टिप्पण:	ऐसे उप कार्यालय ग्रधीक्षक में से जिन्होंने उस श्रेण की है।	The state of the s

11		12		
गेन्नति द्वारा	श्रोग्नति :—			
= 11 -	वर्ष सेवा य	अवर श्रेणी निपिकों में से प्रोन्नति ति है ।		
	(ii) 25 प्रतिशत	ग्रवर श्रेणी लिपिकों की प्रोन्नति १	द्वारा जिन्होंने उस श्रेण	ी (योग्यत
	कोटा) में प	ांच वर्ष सेवा की है।		
	जिन्होंने विभा यः श्रे. लि.—	ागीय परीक्षा ग्रर्हता प्राप्त कर स् –ग्रवर श्रेणी लिपिक।	ति है।	
	13		14	
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति	ſ		लागू नहीं होत	T
ा. 1. स्वापक ग्रायुक्त/कारखानों का	मुख्य नियंत्रक (जो भी ज्येष्ठ हो)	मध्यक्ष		
 स्थापक आयुक्त/कारवानों का 	मुख्य नियंत्रक (जो भी कनिष्ठ हो)	सदस्य		
2. स्वापक झायुक्त/कारखाना का	रतीय श्रकीम और श्रत्कालायड वर्क्स	उपक्रम		
 उप स्थापक ग्रायुक्त (या) भा महाप्रबंधक या सहायक स्थापक 	ह ग्रायक्त (मह्यालय)	सदस्य		
(किसको अधिकारिता है, के म	गमले यिचार के लिए)			
टिल्ला : जहां जपरोक्त में कोई	प्रधिकारी भ्रनुसचित जाति/भ्रनुसूचित	जनजाति से		
संबंधित नहीं हों तब र	रन सचित जाति/ग्रन्सचित जनजाति ^र	क प्रवग स		
संबंधित विभाग से व	ाहर के श्रेणी 'क' ग्रधिकारी को विभ	तगीय प्रोन्नति		
समिति के सदस्य के	रूप में सहयुक्त किया जाएगा ।			
	A STATE OF THE STA			
1	2	3	4	
भ्रवर श्रेणी लिपिक	99* (2000) *कार्यभार के स्नाधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा समुह 'ग' श्रराजपवित अनुसचिवीय	3050-75-3950-8	30-4590
5		6	7	
चयन-सह-ज्ये हठता		1827 वर्ष	नही	
	8		9	10
 मैदिक या समतुल्य । 				
2. अंग्रेजीटंकण में कम से क	म 30 शब्द प्रति मिनट या हिन्दी टंक	ण में 25 लागून	ाहीं होता	दो वर्ष
शब्द प्रति मिनट की गति	हो परन्तु यह कि	2A		
(क) टंकण में उक्त ग्रह्तानही	रखने वाला व्यक्ति भी इस शतं	क भ्रधान		
नियुक्त किया जा सकता	है कि यह चेतनमान में वेतनवृद्धिय पंपुष्टि के लिए तब तक पान्न नहीं	। स्थायात्त्र रें होगा जब तक कि बह—		
कालए या उस अणाः	(पुब्धिक । लए तब तक काम कर 	भें प्रस्कीम		
(क) अंग्रजाटकण मंत्र। शब्द प्रति मि	स शब्द प्रति मिनट या हिन्दी टंकण नट की गति प्राप्त नहीं कर लेता	;		
(ख) शारीरिक रूप से	विकलांग व्यक्ति जो लिपिकीय पद ध	ारण करने		
के लिए ग्रन्थथा	र्घाहत है। किन्तु टंकण में उनत धहेत	ा नहीं रखता		
है इस शर्तके	श्रधीन नियुक्त किया जा सकेगा कि वि	वकलाग व्यक्तिया		
के लिए विशेष र	जिगार कार्यालय से सम्बद्ध चिकित्सा	बोर्ड या जहां		
ऐसा बोर्ड नहीं है	वहां सिविल सर्जन यह प्रमाणित	करता है कि		
प्रकृत विकासांग र	यक्ति टंकण करने के योग्य नहीं	8 1		-

85 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा। 15 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा। 85 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।

टिप्पण:—(1) प्रवर श्रेणी लिपिक श्रेणी की 15 प्रति.

शत रिनितयां जो सीधी भर्ती द्वारा भरी जानी है

निम्नलिखित शर्ती के ग्रधीन रहते हुए समूह 'ध'

कर्मचारियों (नियमित स्थापना के) के लिए

ग्रारक्षित होंगी।

(क) चयत ऐसे सीमित समूह 'घ' कर्मच।रियों की विभागित परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा जो निम्नलिखित न्यूनतम शैक्षिक ब्रहेंता पूरी करते हैं, ब्रयीत् :—

मैद्रिक या समतुल्य ;

(ख) इस परीक्षा के लिए झिधकतम आयु 45 वर्ष होगी। (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 50 वर्ष) ;

(ग) श्रेणी 'घ' में कम से कम पांच वर्ष की सेवा अनिवार्य होगी।

(घ) इस पद्धित द्वारा भर्ती किए गए व्यक्तियों की अधिकतम संख्या इस वर्ष में अवर श्रेणी लिपिक के काडर में रिक्तियां उत्पन्न हुई 15 प्रतिशत तक सीमित रहेंगी, ऐसी रिक्तियां जो भरी नहीं गई हैं वे अप्रेपित नहीं होंगी।

(2) मैक्षिक रूप से ग्रहिता प्राप्त ऐसे प्रयोगशाला परिचर जो रोजगार कार्यालय के माध्यम से प्रारंभ में
भर्ती किए गए हैं, समूह 'घ' के लिए ग्रारक्षित
पन्द्रह प्रतिशत रिक्तियां ग्रवर श्रेणी लिपिक के
पद के लिए, प्रयोगशाला परिचर के रूप में की
गई सेवा की ग्रविध को जिसमें पूर्वतर समूह 'घ' में
की गई सेवा भी है, ग्रायु-सीमा संगणित करने के
प्रयोजन के लिए न कि वास्तिविक ग्रायु से घटाने
की ग्रनुशा देकर प्रतियोगिता में भाग ले सकेंगे।
अ०श्रे०लि०: —अवर श्रेणी लिपिक

13

14

समृह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति :---

स्वापक ग्रायुक्त/कारखानों का मुख्य नियंत्रक (जो भी ज्येष्ठ हो) — प्रध्यक्ष

 स्वापक ग्रायुनत/कारखानों का मुख्य नियंत्रक (जो भी कनिष्ठ हो)

उप स्वापक ग्रायुवत (या) भारतीय ग्रफीम ग्रीर ग्रहमा-लायड वक्सं उपक्रम महाप्रवंधक या सहायक स्वापक ग्रायुवत (मृध्यालय) — सदस्य (किसी के भी ग्रधिकारिता के मामले विचार के लिए हैं।) लागू नहीं होता

		A STATE OF THE STATE OF	
1	2	3	4
प्र बो गज्ञाला परिचर	18* (2000) *कार्यभार के स्राधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' प्रराजपत्नित, ग्रननुसचिवीय ।	2750-70-3800-75- 4400 হ.
5	6		7
लागू नहीं होता	18 27 वर्ष	न	हीं
	8	9	10
किसी मान्यताप्राप्त विश्व समतुल्य ।	विद्यालय या बोर्ड से मैट्रिक या	लागू नहीं होता	दो वर्ष
11		12	
सीधी भर्ती द्वारा		लागू नहीं होता	
13		14	
लागू नहीं होता		लागू नहीं होता	
1	2	3	4
म्राणुलिपिक (श्रेणी II) 5* (2000) *कार्यभार के ग्राधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा स ग्रराजपत्नित, ग्रनुसचिवी	
5	6		7
चयन-सह-ज्येष्टता	लागू नहीं होता	1	 नहीं

8	9	10	
लागू नहीं होता	लागू नहीं ह		
	લાયૂ નફા ક	हाता	
11			
प्रोन्नित द्वारा		ऐसे ब्राणुलिपिक श्रेणी Ш श्रंग्रेजी में 120/100 शब्	द्र प्रातः । मनद् का या । हत्
		में 100/80 णब्द प्रति उस श्रेणी में पांच वर्ष टंकण में 40 शब्द प्रति मि अप्रति मिनट) की गति हो	ोमनट का गोत ह ग्रो की सेवा के साथ -अंग्रेज नट (हिन्दी में 30 शर
	13	1 4	
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति सर्	मिति	.लागू नहीं होता	
 स्वापक ग्रायुक्त/कारखानों ज्येष्ठ हो) 	का मुख्य नियंत्रक (जो भी ——ग्रध्यक्ष		
 स्वापक ग्रायुक्त/कारखानों कनिष्ठ हो) 	का मुख्य नियंत्रक (जो भी ——सदस्य		
कानिष्ठ हो) 3. उप स्वापक ग्रायुक्त (य	—सदस्य ा) भारतीय त्रफीम स्रौर महाप्रवंद्यक या		
किन्छ हो) 3. उप स्वापक ग्रायुक्त (य ग्रिकालायड वर्का उपक्रम सहायक स्वापक ग्रायुक्त	—सदस्य ा) भारतीय ऋफीम ऋौर महाप्रवेधक या (-मुख्यालय-) —सदस्य		
किनिष्ठ हो) 3. उप स्वापक भ्रायुवत (य भ्रत्कालायड ववसं उपक्रम सहायक स्वापक भ्रायुवत (किसी के भी श्रधिकरिता के टिप्पण : जहां उपरोक्त में व भ्रनुसूचित जनजाति से सं जाति/श्रृनुसूचित जनजाति बाहर की श्रेणी 'क' ग्रा	—सदस्य ा) भारतीय ग्रफीम ग्रीर महाप्रबंधक या (-मुख्यालय-) —सदस्य मामले विचार के लिए है) कोई ग्रधिकारी ग्रनुसूचित जाति/ बंधित नहीं हो तब ग्रनुसूचित के प्रवर्ग से संबंधित विभाग से धेकारी को विभागीय प्रोन्नति		
किन्छ हो) 3. उप स्वापक म्रायुवत (य म्रत्कालायड ववसं उपक्रम सहायक स्वापक म्रायुवत (किसी के भी म्रधिकरिता के टिप्पण : जहां उपरोक्त में व मृतुसूचित जनजाति से सं जाति/मृतुसूचित जनजाति वाहर की श्रेणी 'क' म्रा	—सदस्य ा) भारतीय ग्रफीम ग्रौर महाप्रबंधक या (-मुख्यालय-) —सदस्य मामले विचार के लिए है) होई ग्रधिकारी ग्रुनुसूचित जाति/ बंधित-नहीं हो तब ग्रुनुसूचित के प्रवगं से संबंधित विभाग से		
किनिष्ठ हो) 3. उप स्वापक म्रायुवत (य म्रास्कालायड ववसं उपक्रम सहायक स्वापक म्रायुवत (किसी के भी म्रधिकरिता के टिप्पण : जहां उपरोक्त में ब्रम्मुसूचित जनजाति से सं जाति/मृनुसूचित जनजाति वाहर की श्रेणी 'क' म्रा	—सदस्य ा) भारतीय ग्रफीम ग्रीर महाप्रबंधक या (-मुख्यालय-) —सदस्य मामले विचार के लिए है) कोई ग्रधिकारी ग्रनुसूचित जाति/ बंधित नहीं हो तब ग्रनुसूचित के प्रवर्ग से संबंधित विभाग से धेकारी को विभागीय प्रोन्नति		
किनिष्ठ हो) 3. उप स्वापक भायुनत (य भारकालायड वनसं उपक्रम सहायक स्वापक भायुनत ते (किसी के भी अधिकरिता के टिप्पण : जहां उपरोक्त में व अनुसूचित जनजाति से स जाति/श्रृनुसूचित जनजाति बाह्रर की श्रेणी 'क' ग्रा सिमित के सदस्य के रूप	—सदस्य ग) भारतीय ग्रफीम ग्रौर महाप्रबंधक या (मुख्यालय) —सदस्य मामले विचार के लिए हैं) कोई ग्रधिकारी ग्रनुसूचित जाति/ बंधित नहीं हो तब ग्रनुसूचित के प्रवर्ग से संबंधित विभाग से धिकारी को विभागीय प्रोन्नति में सह्युक्त किया जाएगा।	3	4
3. उप स्वापक भ्रायुवत (य भ्रत्कालायड वनसं उपक्रम सहायक स्वापक अग्नयुवतः (किसी के भी अधिकरिता के टिप्पण : जहां उपरोवत में व श्रनुसूचित जनजाति से स जाति/श्रनुसूचित जनजाति बाहर की श्रेणी 'क' श्रा समिति के सदस्य के रूप	—सदस्य महाप्रबंधक या (-मुख्यालय-) मामले विचार के लिए हैं) कोई प्रधिकारी श्रृनुसूचित जाति/ बंधित नहीं हो तब अनुसूचित के प्रवर्ग से संबंधित विभाग से धकारी को विभागीय प्रोन्नित में सह्युक्त किया जाएगा।	3 साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' प्रराजपत्रित, ग्रनुसचिवीय ।	4 4000-100-6000 ₹.
किन्छ हो) 3. उप स्वापक भायुवत (य भारकालायड वर्क्स उपक्रम सहायक स्वापक भायुवत (किसी के भी अधिकरिता के टिप्पण : जहां उपरोक्त में व अनुसूचित जनजाति से स जाति/श्रृनुसूचित जनजाति बाह्रर की श्रेणी 'क' ग्रा समिति के सदस्य के रूप	—सदस्य ग) भारतीय अफीम और महाप्रबंधक या (-मुख्यालय) —सदस्य मामले विचार के लिए है) कोई अधिकारी अनुसूचित जाति/ बंधित नहीं हो तब अनुसूचित के प्रवर्ग से संबंधित विभाग से धिकारी को विभागीय प्रोन्नित में सह्युक्त किया जाएगा। 2 8* (2000)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग'	
किन्छ हो) 3. उप स्वापक भायुवत (य भारकालायड वर्क्स उपक्रम सहायक स्वापक भायुवत (किसी के भी अधिकरिता के टिप्पण : जहां उपरोक्त में व अनुसूचित जनजाति से स जाति/श्रृनुसूचित जनजाति बाह्रर की श्रेणी 'क' ग्रा समिति के सदस्य के रूप	—सदस्य महाप्रवंद्यक या (मुख्यालय) —सदस्य मामले विचार के लिए है) होई प्रधिकारी श्रृनुसूचित जाति/ बंधित नहीं हो तब अनुसूचित के प्रवर्ग से संबंधित विभाग से धिकारी को विभागीय प्रोन्नति में सह्युक्त किया जाएगा। 2 8* (2000) *कार्यमार के श्राधार पर परिवर्तन	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग'	
किनिष्ठ हो) 3. उप स्वापक भायुनत (य भारकालायड वनसं उपक्रम सहायक स्वापक भायुनत ते (किसी के भी अधिकरिता के टिप्पण : जहां उपरोक्त में व अनुसूचित जनजाति से स जाति/श्रृनुसूचित जनजाति बाह्रर की श्रेणी 'क' ग्रा सिमित के सदस्य के रूप	—सदस्य महाप्रवंद्यक या (मुख्यालय) —सदस्य मामले विचार के लिए है) होई प्रधिकारी श्रृनुसूचित जाति/ बंधित नहीं हो तब अनुसूचित के प्रवर्ग से संबंधित विभाग से धिकारी को विभागीय प्रोन्नति में सह्युक्त किया जाएगा। 2 8* (2000) *कार्यमार के श्राधार पर परिवर्तन	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' प्रराजपितत, श्रनुसचिवीय ।	

10 9 सोधी भर्ती किए जान वास अवस्पत्रमें लामू नहीं होता (i) मैदिन या समतुल्य । के लिए दो वर्ष (ii) अंग्रेजी आश्लिपि में त 00 शब्द प्रति सिनटः और मंग्रेजी टंकण में 40 शब्द प्रति मिनट की गति (हिन्दी टंकण में 30 शब्द प्रति मिनट की गति) परन्तु यह कि आशुलिपि में 100 शब्द प्रति मिनट की गति के पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं तब आश्वलिपि में 80 शब्द प्रति मिनट की गति वाले अभ्ययियों की नियुन्ति के लिए विचार में लिया जा सकता है। 12 11 प्रोन्नति : स्वापक पदार्थ विभाग में ऐसे ग्रवर भोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा । लिपिकों में से सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से चयन द्वारा जिन्होंने उस श्रेणी में कम से कम 2 वर्ष सेवा की है स्रौर जिनके पास स्तंभ 8 की स्तंभ (ii) में विहित ग्रर्हताएं हैं। टिप्पण : यदि कनिष्ठ व्यक्तित उस श्रेणी में ग्रपनी सेवा की विहित अर्हक अवधि पूरी करने के आधार पर प्रोन्नति के लिए विचार में लिया जाता है, तो उस श्रेणी में उससे ज्येष्ठ सभी व्यक्ति भी प्रोन्नति के लिए विचार में लिए जाएंगे बावजूद इसके कि उन्होंने उस श्रेणी में उन्होंने सेवा की विहित ग्रहंक ग्रवधि पूरी न की हो परन्तु उन्होंने परिवीक्षा की विहित स्रविध सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। ग्र.श्रे.लि.--ग्रवर श्रेणी लिपिक 13 लागू नहीं होता समृह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति 1. स्वापक ग्रायुक्त/कारखानों का मुख्य नियंत्रक (जो भी -ग्रध्यक्ष ज्येष्ठ हो) 2. स्वापक भायुक्त/कारखानों का मुख्य नियंत्रक -सदस्य (जो भी कनिष्ठ हो) उपस्वापक ग्रायुक्त (या) भारतीय भ्रफीम भौर ग्रल्का-लायड वर्क्स उपक्रम महाप्रबंधक या 4. सहायक स्वापक ग्रायुक्त (मुख्यालय) -सदस्य (किसी के भी ग्रधिकारिता के मामले विचार के लिए है) --सदस्यः 5. सहामकः श्रायुक्तः ग्रायकरः टिप्पण : जहां उपरोक्त में कोई ग्रधिकारी ग्रमुसूचित जाति/ग्रनुसूचित जनजाति से संबंधित नहीं हों तब ग्रनु-सूचित जाति/ग्रनुसूचित जनजाति के प्रवर्ग से संबंधित विभाग-से बाहर के श्रेणी 'क' प्रधिकारी को विभागीय. प्रोन्नति समिति के सदस्य के रूप में सहयुक्त किया

जाएगा।

क्ता संभावने वाला सह-सहायक 06*	1	2		4
प्यम-सह-ज्येच्छ्ता ताप् नहीं होता नहीं 8 9 10 लाग् नहीं होता लाग् नहीं होता लाग् नहीं होता 11 12 प्रोन्नित हारा प्रोन्नित हो प्रोर जिन्हों होता 11 12 प्रोन्नित हो प्रोर जिन्हों होता प्रोन्नित हो प्रोर जिन्हों से सालते में अभिकृषि हो और जिन्होंने तक निवमित सेवा को हो, प्रोन्नित हितारा; (ii) प्रेस समृह 'घ' कार्मिकों में से, जिनकों संभावते में अभिकृषि हो और जिन्होंने तक निवमित सेवा को हो, प्रोन्नित हितारा। (iii) प्रोन्नित रिक्तवर्थों को उपलब्धता और कार्य किया जाएगा; (iii) प्रोन्नित रिक्तवर्थों को उपलब्धता और कार्य के प्रध्यक्षीन पर होंगी; (iv) प्रध्यक्षित के प्रचलक अपीति कार्योतिक मार्च चाहिए और उनको भर्ती के दो वर्ष कुष्यक्षीन पर होंगी; (iv) प्रध्यक्षित के से से से कार्य से से कार्य स्थित वर्षारीरिक मार्च चाहिए और उनको भर्ती के दो वर्ष कुष्यों से से संस्थात कार्योतिक मार्च चाहिए और उनको भर्ती के दो वर्ष कुष्यक्ष अपीति होना चाहिए। 13 14 लाग् नहीं होता 14 लाग् नहीं होता 14 लाग् नहीं होता 15 वर्ष प्रपाल अपायकर —सदस्य —सदस्य —सदस्य हैयाका प्रयायक प्रमुम्भवत जाति/अपुमूम्बत जनवाति के प्रवर्ग से संबंधित विभाग से बाहर के अपी 'क' अधिकारी के विभागीय प्रोन्नित समिति के सदस्य के रूप में संबंधित विभाग से बाहर के अपी 'क' अधिकारी के विभागीय प्रोन्नित समिति के सदस्य के रूप में सहयुक्त किया जाएगा। 1 2 3 4 साधारण केन्द्रीय सेवा समृह 'घ' 2610-60-3150-65 पर्तित कर्म्मिलवीय	कुत्ता संभालने वाला सह-सहायक उप-निरीक्षक	06* (2000) *कार्यभार के ग्राधार पर परिवर्तन	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग'	3050-75-3950-80- 4590 ₹.
प्रधान-सह-अंप्टला लागू नहीं होता नहीं 8 9 10 लागू नहीं होता लागू नहीं होता लागू नहीं होता 11 12 प्रोन्नित इरा प्रीन्नित इरा प्रीन्नित हो प्रांप जिन्होंने तक नियमित सेवा की हो, प्रोन्नित हो प्रांप जिन्होंने तक नियमित सेवा की हो, प्रोन्नित हारा; (ii) एसे समूह 'प' कामिकों में में, जिनकों संभावने में प्रमिश्चि हो प्रांप जिन्होंने तक नियमित सेवा की हो, प्रोन्नित हारा; (iii) प्रमत समुचित विभागीय परीक्षा के म किया जाएगा; (iii) प्रोन्नित विल्वयों की उपलब्धता भीर कार्य के प्रध्यक्षन पर होंगी; (iv) प्रध्यक्षित पर होंगी; (iv) प्रध्यक्षित पर होंगी; (iv) प्रध्यक्षित पर होंगी; (iv) प्रध्यक्षित के प्रस्वक्षित शारीतिक मा चाहिए भीर उनकों मर्ती के दो वर्ष कृषों को संभावने के लिए सीमा सुरक्षा समी से उत्तीण होना चाहिए। 13 14 लागू नहीं होता 14 लागू नहीं होता विध्व प्रमूचित जाति/धनुसूचित जनजाति से प्रवर्श के प्रमूचित जनजाति के प्रवर्श के प्रमूचित विभाग से स्वाद्य के प्रमूचित जनजाति के प्रवर्श सेविधित तिभाग से स्वाद्य के स्वर्थ में सहिष्क प्रमूचित विभाग से स्वाद्य के विभागीय प्रोन्नित स्वाद्य के स्वर्थ में सहिष्क के विभागीय प्रोन्नित स्वाद्य के स्वर्थ में सहिष्क के विभागीय प्रोन्नित स्वाद्य के स्वर्थ में सहिष्क के विभागीय प्रोन्नित स्वाद्य के स्वर्य के स्वर्थ में सहिष्क के विभागीय प्रोन्नित स्वाद्य के स्वर्थ में सहिष्क के विभागीय प्रोन्नित स्वर्य के स्वर्थ में सहिष्क के स्वर्थ के स्वर्थ में सहिष्क के स्वर्थ में सहिष्क के स्वर्थ के स्वर्थ में स्वर्थ में स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ में स्वर्थ में सहिष्क के स्वर्थ के स्वर्य के स्वर्थ के स्	5	6		7
लागू नहीं होता लागू नहीं होता लागू नहीं होता लागू नहीं होता 11 12 प्रोन्नति द्वारा 11 12 प्रोन्नति द्वारा प्रोन्नति द्वारा प्रोन्नति द्वारा प्रोन्नति द्वारा प्रोन्नति द्वारा प्रोन्नति द्वारा (i) ऐसे समृह 'घ' कामिकों में से, जिनकों संभालने में ग्रामिकीं हो ग्रीर जिन्होंने तक नियमित सेवा की हो, प्रोन्नति द्वारा; (ii) वयन समृचित विभागीय परीक्षा के म किया जाएगा; (iii) प्राप्ताव्या के प्रपत्नका भीर कार्य के प्रध्यायों के पास अपेक्षित शारीरिक मा चाहिए और उनको भर्ती के दो वर्ष कृतों को संभालने के लिए सीमा मुरक्षा दमी से उत्तीर्ण होना चाहिए। 13 14 समृह 'घ' विभागीय प्रोन्नति सामिति :	चयन-सह-ज्येष्ठता -			हीं
वागू नहीं होता 11 12 प्रोन्नित हारा 11 12 प्रोन्नित हारा (i) ऐसे सम्ह 'घ' कामिकों में से, जिनको सभालने में अधिकिच हो और जिन्होंने तक नियमित सेवा की हो, प्रोन्नित हारा; (ii) चयन सम्चित विभागीय परीक्षा के म किया जाएगा; (iii) प्रोन्नित रिक्त्योंको उपलब्धता भीर कार्य के प्रध्यक्षेत पर होंगी; (iv) प्रम्यव्यक्षों के पास अपेक्षित शारीरिक मा चाहिए घीर उनको भर्ती के दो वर्ष कृतों को संभालने के लिए सीमा मुरक्षा दमी से उत्तीर्ण होना चाहिए। 13 14 सम्ह 'ग' विभागीय प्रोन्नित समिति :	8	-		10
प्रोन्नति इत्तरा प्रोन्नति इत्तरा प्रोन्नति इत्तरा प्रोन्नति इत्तरा (i) ऐसे समृह 'घ' कामिकों में से, जिनकों संभालने में प्रभिक्ति हो और जिन्होंने तक नियमित सेवा को हो, प्रोन्नति इत्तरा; (ii) चयन समृचित विभागीय परीक्षा के म किया जाएगा; (iii) प्रोन्नति रिक्तियों को उपलब्धता भीर कार्य के प्रस्थित पर होंगी; (iv) प्रप्याव्यों के पास प्रपेक्षित शारीरिक माः चाहिए श्रीर उनको भर्ती के दो वर्ष कृतों को संभालने के लिए सीमा मुरक्षा दमी से उत्तीर्ण होना चाहिए। 13 14 लागू नहीं होता 14 लागू नहीं होता 24 सहायक प्रायुक्त, प्रायकर —सदस्य उत्तर्भा तीन उपस्वापक प्रायुक्त —सदस्य उत्तर्भा तीन उपस्वापक प्रायुक्त में कोई प्रकारी प्रनृज्ञचित जाति/ प्रनृज्ञचित जनजाति से संबंधित नहीं हों तब प्रनृज्ञचित जाति/ प्रनृज्ञचित जनजाति के प्रवर्ग से संबंधित विभाग से बाहर के श्रेणी 'क' प्रधिकारी के विभागीय प्रोन्नति समिति के सदस्य के रूप में सहयुक्त किया जाएगा। 1 2 3 4 साधारण केन्द्रीय सेवा समृह 'घ' 2610-60-3150-65 *कार्यभार के धाधार पर परिवर्तन	लागू नहीं होता			
प्रोन्नित हारा प्रोन्नित हारा प्रोन्नित हारा (i) ऐसे समृह 'घ' काम्मिकों में से, जिनकों संभाजने में प्रभिष्ठित हो और जिन्होंने तक नियमित सेवा की हो, प्रोन्नित हारा; (ii) जयन समृचित विभागीय परीक्षा के म किया जाएगा; (iii) प्रोन्नित रिक्तियों की उपलब्धता भीर कार्य के प्रध्यधीन पर होंगी; (iv) ग्रम्यध्यमें के पास ग्रपेक्षित ग्रारीरिक मा चाहिए ग्रीर उनको भर्ती के दो वर्य कृतों को संभाजने के लिए सीमा मुरक्षा दमी से उत्तीर्ण होना चाहिए। 13 14 समृह 'ग' विभागीय प्रोन्नित सिर्मात : 1. स्वापक ग्रायुक्त जन्तार्थ जायुक्त —-म्रध्यक्ष —-म्रध्यक्ष 2. सहीयक ग्रायुक्त स्वरस्य — सदस्य उपलेब ज्ञायुक्त में कोई ग्रीक्षकारी ग्रनुस्चित जाति/ ग्रनुस्चित जनजाति से संबंधित नहीं हों तव ग्रनुस्चित जाति/ ग्रनुस्चित जनजाति से प्रवर्भ से संबंधित विभाग से बाहर के प्रेणी 'क' ग्राधकारी के विभागीय प्रोन्नित विभाग से बाहर के प्रेणी 'क' ग्राधकारी के विभागीय प्रोन्नित सिर्मित के सदस्य के रूप में सहयुक्त किया जाएगा। 1 2 3 4 पतरी 06* (2000) *कार्यभार के ग्राधार पर परिवर्तन	11 .			0
(ii) चयन समृचित विभागीय परीक्षा के म किया जाएगा; (iii) प्रोजित रिकितयों की उपलब्धता ग्रीर कार्य के ग्रध्यधीन पर होंगी; (iv) ग्रध्यिथों के पास ग्रपेक्षित जारीरिक मार चाहिए ग्रीर उनको भर्ती के दो वर्ष कृतों को संभालने के लिए सीमा मुरक्षा दमी से उत्तीणं होना चाहिए। 13 14 जागू नहीं होता समूह 'ग' विभागीय प्रोजित सिमिति : जागू नहीं होता म्रध्यक्ष 2. सहायक ग्रायुक्त ग्रायक्षर 3. सभी तीन उप-स्वापक ग्रायुक्त सदस्य 2. सहायक ग्रायुक्त जाति/ श्रमुम्चित जनजाति से संबंधित नहीं हों तब ग्रनुम्चित जाति/श्रमुम्चित जनजाति से प्रवंधित विभाग से बाहर के श्रेणी 'क' ग्रधिकारी के विभागीय प्रोजित सिमिति के सदस्य के रूप में सहयुक्त किया जाएगा। 1 2 3 4 पत्तरी 06* (2000) *कार्यभार के ग्राधार पर परिवर्तन	प्रोन्नति द्वारा		प्रोन्नति : (i) ऐसे समूह 'घ' क	र्गिकों में से, जिनको जानवरों
(iii) प्रोन्नित रिक्तियों की उपलब्धता ग्रीर कार्य के प्रध्यधीन पर होंगी; (iv) ग्रभ्याँययों के पास ग्रपेक्षित शारीरिक मा चाहिए ग्रीर उनको भर्ती के दो वर्ष कृतों को संभालने के लिए सीमा मुरक्षा दमी से उत्तीर्ण होना चाहिए। 13 14 समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नित सिनित : नग्रध्यक्ष 2. सहायक ग्रायुक्त प्रायुक्त —-सदस्य 3. सभी तीन उप-स्वापक ग्रायुक्त —-सदस्य टिप्पण : जहां उपरोक्त में कोई ग्रधिकारों ग्रनुसूचित जाति/ श्रनुसूचित जनजाति से प्रबंधित नहीं हों तब ग्रनुसूचित जाति/श्रनुसूचित जनजाति के प्रवर्ग से संबंधित विभाग से बाहर के श्रेणी 'क' ग्रधिकारी के विभागीय प्रोन्नित सिनित के सदस्य के रूप में सहयुक्त किया जाएगा। 1 2 3 4 पतरी 06* (2000) *कार्यभार के ग्रधार पर परिवर्तन			(ii) चयन समुचित वि	
चाहिए और उनको भर्ती के दो वर्ष कृतों को संभालने के लिए सीमा सुरक्षा दमी से उत्तीर्ण होना चाहिए। 13 14 समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति : 1. स्वापक ग्रायुक्त ग्रायकर			(iii) प्रोन्नति रिक्तियों की	
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति : लागू नहीं होता 1. स्वापक ग्रायुक्त ग्रणीलग्रध्यक्ष 2. सहायक ग्रायुक्त, ग्रायकरसदस्य 3. सभी तीन उप-स्वापक ग्रायुक्तसदस्य टिप्पण : जहां उपरोक्त में कोई ग्रिश्चिकारी ग्रनुसूचित जाति/ ग्रनुसूचित जनजाति से संबंधित नहीं हों तब ग्रनुसूचित जाति/ग्रनुसूचित जनजाति के प्रवर्ग से संबंधित विभाग से बाहर के श्रेणी 'क' ग्रिश्चिकारी के विभागीय प्रोन्नति समिति के सदस्य के रूप में सहयुक्त किया जाएगा। 1. 2 3 4 पतरी 06* साधारण केन्द्रीय सेवा समुह 'घ' 2610-60-3150-65 "कार्यभार के ग्राधार पर परिवर्तन			चाहिए ग्रौर उनके कुत्तों को संभालने	ो भर्ती के दो वर्ष के भीत केलिए सीमा सुरक्षा बल ग्रक
समूह ग विभागीय प्रोन्नति समिति : 1. स्वापक ग्रायुक्त ग्रापील 2. सहायक ग्रायुक्त, ग्रायकर 3. सभी तीन उप-स्वापक ग्रायुक्त ि सर्वापक ग्रायुक्त -सदस्य हिप्पण : जहां उपरोक्त में कोई ग्राधिकारी ग्रनुमूचित जाति/ ग्रनुमूचित जनजाति से संबंधित नहीं हों तब ग्रनुमूचित जाति/ग्रनुमूचित जनजाति के प्रवर्ग से संबंधित विभाग से बाहर के श्रेणी 'क' ग्राधिकारी के विभागीय प्रोन्नति समिति के सदस्य के रूप में सहयुक्त किया जाएगा। 1 2 3 4 पतरी 06* साधारण केन्द्रीय सेवा समुह 'घ' 2610-60-3150-65 *कार्यभार के ग्राधार पर परिवर्तन			1.4	1
जात/अनुभूचित जनजात के प्रवर्ग से संबंधित विभाग से बाहर के श्रेणी 'क' ग्रधिकारी के विभागीय प्रोन्नित समिति के सदस्य के रूप में सहयुक्त किया जाएगा। 1 2 3 4 पतरी 06* साधारण केन्द्रीय सेवा समुह 'घ' 2610-60-3150-65 *कार्यभार के ग्राधार पर परिवर्तन	 स्वापक ग्रायुक्त ग्रपील सहायक ग्रायुक्त, ग्रायकर सभी तीन उप-स्वापक ग्रायुक्त टिप्पण : जहां उपरोक्त में कोई अनुमूचित जनजाति से संबंधि 	ग्रध्यक्ष सदस्य तसदस्य ग्रिधकारी ग्रनुसूचित जाति/ त नहीं हो तस सन्मित्य		
1 2 3 4 पतरी 06* साधारण केन्द्रीय सेवा समुह 'घ' 2610-60-3150-65 (2000) ग्रराजपत्नित ग्रनुसचिवीय *कार्यभार के ग्राधार पर परिवर्तन	जात/अनुसूचित जनजात के । बाहर के श्रेणी 'क' श्रधिकारी	प्रवर्ग से संबंधित विभाग से के विभागीय प्रोचित समिति		
पतरी 06* साधारण केन्द्रीय सेवा समुह 'घ' 2610-60-3150-65 (2000) ग्रराजपत्नित ग्रनुसचिवीय *कार्यभार के ग्राधार पंर परिवर्तन	1	0		1
(2000) साधारण केन्द्रीय सेवा समुह 'घ' 2610-60-3150-65 ग्रराजपबित ग्रनुसचिवीय *कार्यभार के ग्राधार पर परिवर्तन	पतरी पतरी	-		4
	**	(2000) कार्यभार के ग्राधार पर परिवर्तन	साधारण केन्द्रीय सेवा समुह 'घ' ग्रराजपत्नित ग्रनुसचिवीय	2610-60-3150-65-3540
5	5	6	1 1	
यन- सह-ज्येष्ट्रता लागू नहीं होता लागू नहीं होता		लागू नहीं होता		

8		9		10	
ागू नहीं होता		लागु नहीं होता		नाग् नहीं होता	
11 151 6101	177				
	the second company of the second second			12	
ो । रोन्नति द्वारा		,	ग्रेन्नति : ऐसे सिपाहियो उस [्] श्रेणी में तीन व	ग्रीर चपरासियों में वर्ष नियमित सेवा की	स जिन्होंने है।
	The second second second second				
	13			14	
समूह 'घ' विभागीय प्रोन्न			लागू न	हीं होता	
	सहायक स्वापक भ्रायुक्त-	ग्रध्यक्ष			
2. दो वर्ग I प्रधिका		——सदस्य			
 आयकर प्रधिकारी 		सदस्य			
	ा में कोई म्रधिकारी मनु				
धनसूचित जनजाति जनत्र/धनसचित जन	से संबंधित नहीं हों तब जाति के प्रवर्ग से संबंधि ग्रिधिकारी के विभागीय प्र	ा ग्रनुसूचित यत विभाग से ग्रोन्नति समिति			
बाहर कं अर्था के के सदस्य के रूप मे	सहयक्त किया जाएगा	I .			
बाहर के श्रेणा के के सदस्य के रूप मे	ं सहयुक्त किया जाएगा				
बाहर के श्रेणा के के सदस्य के रूप में	ंसहयुक्त किया जाएगा		3	4	
बाहर के श्रेणा के के सदस्य के रूप में	र सहयुक्त किया जाएगा 2		3		
के सदस्य के रूप मे	ं सहयुक्त किया जाएगा 2 1* (2000)	। साधार स्रराज धार पर परिवर्तन	3 एण केन्द्रीय सेवा समूह 'घ' पबित, ग्रनुसचिवीय ।		65-35403
के सदस्य के रूप में	ं सहयुक्त किया जाएगा 2 1* (2000) *कार्यभार के ग्रा	। साधार स्रराज धार पर परिवर्तन	 एण केन्द्रीय सेवा समूह 'घ'		65-3540
के सदस्य के रूप में	ं सहयुक्त किया जाएगा 2 1* (2000) *कार्यभार के ग्रा	। साधार स्रराज धार पर परिवर्तन	 एण केन्द्रीय सेवा समूह 'घ'	2610-60-3150-	65-3540
के सदस्य के रूप में 1 हवलदार	ं सहयुक्त किया जाएगा 2 1* (2000) *कार्यभार के ग्रा	। साधार स्रराज धार पर परिवर्तन	 एण केन्द्रीय सेवा समूह 'घ'		65-3540
के सदस्य के रूप में 1 हवलदार 5	र्व सहयुक्त किया जाएगा 2 1* (2000) *कार्यभार के ग्रा किया जा सकत	साधार स्रराज धार पर परिवर्तन ता है ।	 एण केन्द्रीय सेवा समूह 'घ'	2610-60-3150-	65-35403
के सदस्य के रूप में 1 हवलदार	र्व सहयुक्त किया जाएगा 2 1* (2000) *कार्यभार के ग्रा किया जा सकत	। साधार ग्रराज ।धार पर परिवर्तन ता है ।	 एण केन्द्रीय सेवा समूह 'घ'	2610-60-3150-	65-3540
के सदस्य के रूप है 1 हवलदार 5	र्व सहयुक्त किया जाएगा 2 1* (2000) *कार्यभार के ग्रा किया जा सकत	साधार स्रराज धार पर परिवर्तन ता है ।	 एण केन्द्रीय सेवा समूह 'घ'	2610-60-3150-	65-35403
के सदस्य के रूप में 1 हवलदार 5	र्व सहयुक्त किया जाएगा 2 1* (2000) *कार्यभार के ग्रा किया जा सकत	साधार प्रराज धार पर परिवर्तन ता है । 6 लागू नहीं होता	ण केन्द्रीय सेवा समूह 'घ' पित्रत, प्रनुसचिवीय ।	2610-60-3150- 7 लागू नहीं होता	65-35403
के सदस्य के रूप है 1 हवलदार 5 यन-सह-ज्येष्टता	र्व सहयुक्त किया जाएगा 2 1* (2000) *कार्यभार के ग्रा किया जा सकत	साधार प्रराज धार पर परिवर्तन ता है । 6	ण केन्द्रीय सेवा समूह 'घ' पित्रत, प्रनुसचिवीय ।	2610-60-3150- 7 लागू नहीं होता	65-3540
के सदस्य के रूप है 1 हवलदार 5 यन-सह-ज्येच्छता	र्व सहयुक्त किया जाएगा 2 1* (2000) *कार्यभार के ग्रा किया जा सकत	साधार प्रराज धार पर परिवर्तन ता है । 6 लागू नहीं होता	ण केन्द्रीय सेवा समूह 'घ' पित्रत, प्रनुसचिवीय ।	2610-60-3150- 7 लागू नहीं होता	65-35403
के सदस्य के रूप है 1 हवलदार 5 यन-सह-ज्येष्टता	र्व सहयुक्त किया जाएगा 2 1* (2000) *कार्यभार के ग्रा किया जा सकत	साधार प्रराज धार पर परिवर्तन ता है । 6 लागू नहीं होता	ण केन्द्रीय सेवा समूह 'घ' पित्रत, प्रनुसचिवीय ।	2610-60-3150- 7 लागू नहीं होता	65-35403

13		14	
तमूह 'घ' विभागीय प्रोन्नति समिति	~~~~~~~	लागू न हीं ह	ोता .
 उप स्वापक आयुक्त/सहायक स्वापक ग्रा 	Tar Steves		
2. दो वर्ग I ग्रिधिकारी			
3ं-ग्रायकर∹ग्रधिकारी वर्गः I	सदस्य		the state of the s
टिप्पण : जहां उपरोक्त में कोई। प्रधिकारी प्रनुसूचित जनजाति से संबंधित नहीं जाति/ग्रनुसूचित जनजाति के प्रवर्ग से बाहर के श्रेणी 'क' ग्रधिकारी के समिति के सदस्य के रूप में सहयुक्त	हो तब प्रनुसूचित से संबंधित विभाग विभागीय प्रोक्षति		
Name of the last o			
$\frac{1}{1}$		3	4
सिपा ही 522*	स	धारण केन्द्रीय सेवा समूह 'घ'	2610-60-3150-65-
(2000		राजपत्नित, भनभुसचिवीय	3540 €.
	के माधार पर परिवर्तन		
[भया ज	ा सकता है।		
5	6		7
चयन-सह-ज्येष्ठता	18-25 वर्ष		नहीं.
8		9.	10
मिडिल कक्षा उत्तीर्ण ।		नाम सर्वे कोला-	दो वर्ष
टिप्पण : ग्रभ्यर्थी ग्रपेक्षित शारीरिक मान विनिदिष्ट शारीरिक परीक्षा में उत्तीर्ण	कों के प्रनुख्य और नीचे होना चाहिए, प्रथतिः—	यथा	था प्रवच्या.
(क) पुरुष ग्रभ्यथियों के लिए	गढ़वाली, ग्रसमी, गोरखा		
(1) शारीरिक स्तर (न्यूनतम) लम्बाई 157.5 से. मी.	भनुमूचित जनजाति के स	दस्यों	
सीना81 से. मी.	की दशा में 5 से. मी. शिथिलनीय है।	तक .	
(न्यूनतम 5 से. मी. पूरा फुलाकर)	च्यानप्रभाव है।		
(2) गारीरिक परीक्षा			
चलना—- 15 मिनट में 1600 मीटर			
साइकिल30 मिनट में 8 किलोमीटर			No. 14
(ख) महिला ग्रभ्यथियों के लिए	गढ़वाली, ग्रसमी, गोरखा	और	
(1) शारीरिक स्तर (कम से कम) लम्बाई—-152 से . मी	भनुसूचित जनजाति के स	दस्यो	
लम्बाइ 152 स . मा . वजन 48 किलोग्राम	को दशा में 2.5 से	मी.	
(2) शारीरिक परीक्षा	की अंचाई और 2 किल तक शिथिलनीय है।	ग्रिम	
चलन(20 मिनट में 1 किलो मीटर	जन्म जन्माना है।		
साइकिल जलाना25 मिनट में 3 किलो . मीटर	· Second	Accept to	91.
			4
(अपरलिखित-गारीरिक-स्तर/परीक्षा प्रोप्तिक द्वारा परोक्कोः)भरने के			

11

75 प्रतिशत सीधी भॅती द्वारा । 25 प्रतिशत द्वामेनन द्वारा । 12

ंध्रामेलन : फराश, चौकीदारों, झाड़ुकशों को निम्नेलिखित शर्ती के - ब्रधीन रहते हुए भ्रामेलन किया जाएगा :—

- (1) फराश/चौकीदारों/झाड़कशों ने कम से कम पांच वर्ष नियमित सेव। की है।
- (2) केबल उन्हीं फराण/चौकीदारों/झाड्कणों को सिपाहियों के रूप में नियुक्त किया जाएगा जो विहित णारी-रिक मामक पूरा करते हैं जिसका आयु 45 वर्ष से कम है।
- (3) ऐसे व्यक्ति जिनकी नियुक्ति की जानी है, उनको कम से कम प्रारंभिक साक्षर हो और अंग्रेजी, हिन्दी या क्षेत्रीय भाषा में से किसी एक भाषा को परीक्षा के माध्यम से पढ़ने की योग्यता का सबूत देना होगा।
- (4) यदि समुचित पात्र फराश/चौकीदारों/झाड़्कशों की नियुक्ति द्वारा सिपाहियों के काडर में की 25 प्रतिशत की रिक्तियों को भरा जाना संभव नहीं हो तो भरा न जाने वाला कोटा प्रति वर्ष समाप्त हो जाएगा और उनको अग्रनीत नहीं किया जाएगा ऐसी रिक्तियां रोजगार कार्यालय के माध्यम से सीधी अर्ती को अपयोजित कर दी जाएगी।

14 13 समूह 'घ' विभागीय बोन्नेति समिति लागू महीं होता 1. उप स्वापक मायुक्त/सहायक स्वापक मायुक्त -ग्रध्यक्ष 2.-दो-वर्ग I-मधिकारी सदस्य अध्यक्रत्मधिकारी ≂सदस्य टिप्पण : जहां उपरोक्त में कोई ग्रंधिकारी ग्रुनुसूचित जाति/ -- अनुसूचित जनजाति - से- संबंधित नहीं - हो सब अनुसूचित जाति/ अनुमूचित जनजाति के प्रवर्ग से संबंधित विभाग से बाहर के श्रेणी 'क' श्रधिकारी के विमागीय प्रोप्तति समिति के सदस्य के रूप में सहयुक्त किया जाएगा। 2 1 साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'घ' 2550-55-2660-60-3200 र. 1* फराश ग्रराजपतिस, श्रनतुसचिबीय (2000)*कार्यभार के ब्राधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। 6 5 ल गुनहीं होता 18--25 वर्ष लाग् नद्वीं दोता

,	10		10
8	9	- 4	दोवपं
प्राथमिक विद्यालय स्तर उत्तीर्ण	लागू नहीं होता		CONT.
		12	
11		लागू नहीं होता	
सीधी भर्ती द्वारा		લાનું નહા હ	
13		14	
समूह 'घ' विभागीय प्रोन्नति समिति		लागू नहीं होता	
 उप स्वापक ग्रायुक्त/सहायक स्वापक ग्रायुक्त —ग्रध्यक्ष 			
2. दो वर्ग I ग्रधिकारी			
3. म्रायकर म्रधिकारी वर्ग Iसदस्य			
टिप्पण : जहां विभागीय प्रोन्नति समिति में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग से संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति का सदस्य कोई नहीं है तब उन्हें सदस्य सहयुक्त किया जाएगा।			
			1 8 1 1 m
1 2	3		4
चौकीदार 12*			
(2000)	साधारण केन्द्रीय सेव अराजपत्रित, ग्रनमुस	।समूह्य 2 चित्रीय	550-55-2660-3200
*कार्यभार के ग्राधार पर परिवर्त	न	। भवाव	
किया जा सकता है ।			
5	6		
नागू नहीं होता	। 8-25 वर्ष		7
			रू नहीं होता
8	9		10
प्राथमिक विद्यालय स्तर उत्तीर्ण ल	ागू नहीं होता		
		-	दो वर्ष
11	12	1000	
गिधी भर्ती हारा	लागू नहीं ह	ोता	
10			
13	14		Edd a
मूह 'घ' विभागीय प्रोन्नति समिति	लागू नहीं ह	ीता	172 27 19
. उप स्वापक ग्रायुक्त/महायक स्वापक ग्रायुक्तप्रध्यक्ष			
दो बर्ग I श्रधिकारी ——सदस्य			
ग्रायकर ग्रधिकारी वर्ग Iसदस्य			
यण :			
ं उपरोक्त में कोई ग्रधिकारी ग्रनुमूचित जाति/ग्रनुमूचित			
जनजात स संबंधित नहीं हो तब प्रतमित जानिक	Mon	** (*)	
पुचित जनगात के प्रवर्ग स संबंधित विकास के क्यान			
त्रेणी 'क' प्रधिकारी के विभागीय प्रोन्निति समिति के तदस्य के रूप में सहयुक्त किया जाएगा ।			

1	2	3	4
सफाईवाला	17* (2000)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'घ' ग्रराजपत्रित, ग्रननुसचिवीय	2550-55-2660-3200 · ₹
E	*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।		
5	6		7
लागू नहीं होता	18-25 वर्ष	ल	ागू नहीं होता
8		9	10
प्राथमिक विद्यालय स्तर र	उतीर्ग े	लागू नहीं होता	दो वर्ष
- 11		12	
सीधी भर्ती द्वारा		ल।गू नहीं होता	
1	3	. 14	``
सनूह 'घ' विभागीय प्रोन्न	ति समिति	लागू नहीं होता	
	तहायक स्वापक ग्रायुक्तग्रब्यक्ष		
2. दो वर्ग I ग्रधिकारी			
 ग्राणकर ग्रुधिकारी 	वर्ग Iसदस्य	Alaka da	
टिप्पण :			
जनजाति से संबंधि	ग्रधिकारी ग्रनुसूचित जाति/ग्रनुसूचित त नहीं हों तब ग्रनुसूचित जाति/ग्रनु- प्रवर्ग से संबंधित विभाग से बाहर के		
मू।चत जनजात क श्रेणी 'क' श्रधिकः सदस्य के रूप में सह	री के विमागोय प्रोन्नति समिति के		

[मि .सं.ए-12018/12/98-प्रशासन 3(ख)] यशपाल विशिष्ट, प्रवर सचिव

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th October, 2001

- G. S. R. 21.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and the supersession of the Narcotics Department (Group 'C' & 'D' Posts) Recruitment Rules, 1979 as they relate to Group 'C' and 'D' posts except as respects things done or omitted to be done before such supersession the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'C' & 'D' posts in the Narcotics Department namely:—
 - 1. Short title and commencement :--

2002

- These rules may be called the Narcotics Department (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 2000.
- (...) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Application :-

These rules shall apply to the posts specified in column 2 of the Schedule annexed to these rules. Fin. [2002-3.

- 3. Number of posts, classification and scale of pay:—

 The number of posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in column 3 to 5 of the scheduled annexed hereto.
- 4. Method of recruitment, age limit and qualification etc.:—

 The method of recruitment, age-limit, qualifications, and other matters connected therewith shall be as specified in columns 6 to 14 of the Schedule aforesaid.
 - 5. Special Provisions :-

Notwithstanding anything contained in these rules, the Central Board of Excise and Customs may_

- (a) If it considers it necessary or expedient in the public interest so to do and subject to such conditions as it may specify having regard to the circumstances of the case and for reasons to be recorded in writing, order any post in the Narcotics Department to be filled by absorption of persons holding the same or comparable post but belonging to the cadre of another Department or office under Central Board of Exicse and Customs;
- (b) If it considers it necessary or expedient on compassionate grounds, order that a post in the Narcotics Department which is to be filled by direct recruitment under these rules, may be filled by absorption or deputation of a person holding the same or comparable or higher post from any other Department office under the Central Board of Excise and Customs or office of the Central Board of Excise and Customs subject to such conditions as it may specify having regard to the circumstances of the case.
- 6. Disqualifications :-

No person :-

- (a) who has entered into contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with another person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from operation of this rules.

7. Power to relax :-

Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules in respect of any class or category of persons or posts.

8. Saving :-

Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government time to time in this regard.

		3 1535		SCHEDULE	4.5	
	Name of Post), et	Number of Post	Classification	Scale of pay	Whether Selection- Cum-Seniority of Selection by men
	1		2	3		Post
	Inspector		177 (2000)	General Central Service Gr. 'C' Non-Gazetted Ob- Non-Ministerial	Rs. 5000-175-8000.	Selection-Cum-
6	Non-Selection &	les Min her der	stered of	8	as perasa 449	8020



Age limit for direct recruits		Educational and other qua	lifications required for	Whether age and educational qualificatio prescirbed for direct recruits wapply in case of promotees	ill the
		8		9	10
18-27 years	7 No	Degree from a recognised qualification.	University or equivalent	No	2 years for direct recruits
		Note: The candidates shall physical standards and to specified below, namely:— (a) For Male candidates— (i) Physical standard (minim Height—157.5 cms. Chest—81 cms. (Fully expanded with minimum expansion of 5 ci) Physical Test— Walking—1600 metres in Cycling—8 Kms. in the 30 (b) For Female candidates (i) Physical standard (minim Height—152 Cms.	Relaxable by 5 cms the case of Garhwal Assamese, Gorkhas members of the Scheduled Tribes sms.) 15 minutes. minutes.	.5 cms.	
		Weight—48 Kgs. (ii) Physical Test:— Walking—1 Km. in 20 minu Cycling—3 Kms. in 25 minu	Assamese, Gorkhas members of the Scho		

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods In case of recruitment by promotion/deputation/absorption grades from which promotion/deputation/absorption to be made

11

(i) By direct recruitment 33.33%;

(ii) By promotion from the grade of Upper Division Clerk/Stenographer Gr. III 33.33%;

(iii) By promotion from the grade of Sub-Inspector 33.33%. 12

(1) Promotion: Upper Division Clerk Stenographers (Gr. III) with five years regular service in the grade.

Note:—The candidates will be required to possess physical standards and pass physical tests as specified in the inote under column 8 and confirm to such age limits as may laid down by the Central Board of Exise and Customs from time to time.

Circumstances in which Union Public 'If a' Departmental' Promotion Committee exists, what is its Service Commission, is to be consulted composition in making recruitment 13 Not applicable Grade 'C' Departmental Promotion Committee : —Chairman Appellate 1. Narcotics Commissioner 2. Assistant Commissioner of Income-tax -Member 3. All the three Deputy Narcotics Commissioner-Members Note: Where none of the above officers belongs to Scheduled Caste/Scheduled Tribe category, a Grade 'A' officer from outside the Department belonging to Scheduled Caste/Scheduled Tribe category shall also associate as a member of the Departmental Promotion Committee. 4. Chemical Examiner Grade I -Member 1 2 3 Rs. 4000-100-6000 Selection-cum-165 (2000) General Central Service Sub-Inspector Seniority Group 'C' Non-Gazetted Pro. 5200-20,200 Non-Ministerial. 7 10 18-27 years No Degree from a recognised University or equivalent quali-2 yeas for fication. direct Note: The candidates shall be required to possess the recruits physical standards and to pass physical tests as specified below, namely :-(a) For Male candidates— Relaxable by 5 cms, in (i) Physical standard (minimum) | the case of Garhwalies, Height-157.5 cms. Assamese, Gorkhas & Chest—81 cms. members of the Sche-(Fully expanded with minimum J duled Tribes expansion of 5 cms.) (ii) Physical Test— Walking-1600 metres in 15 minutes. Cycling-8 Kms. in the 30 minutes. (b) For Female candidates-(i) Physical standard (mini-Height relaxable by 2.5 mum) cms. and weight by 2 Height-152 Cms. }kgs. for Garhwalies, Weight-48 Kgs. J Assamese, Gorkhas and (ii) Physical Testmembers of the Scheduled Walking-1 Km. in 20 Tribes minutes Cycling-3 Kms. in 25

minutes

12 11 Promotion: (i) By Promotion from L.D.C. 25% (i) Sepoys with 5 years service in the grade. (ii) Lower Division Clerk with 3 years service in the grade. (ii) By Direct Recruitment 50% (iii) By Promotion from amongst Sepoys 25% Note: (i) The candidates who are not more than 45 years of age will be required to possess such physical standard and pass such physical test as specified in the Note under Column 8* (ii) Selection from amongst Lower Division Clerk, will be made by the Departmental Promotion Committee on the basis of records of service and interview. Candidates would be required to possess such physical standards/ tests as may be laid down by the Central Board of Excise & Customs from time to time. *Details may be seen in Column 8. 14 13 Not applicable "Group 'C' Departmental Promotion Committee: 1. Narcotics Commissioner/Chief Controller of Factories (whosoever is senior)—Chairman 2. Narcotics Commissioner/Chief Controller of Factories (whosoever is Junior)—Member 3. Deputy Narcotics Commissioner (or) General Manager Government Opium & Alkaloid works undertaking. Assistant Narcotics Commissioner (Hqrs.) (The cases of whosoever's jurisdiction are being considered)-Member Where none of the above officers belongs to Scheduled Castes or Scheduled Tribse, a Group A officer from outside the Department belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribes shall also be associated as a member of Departmental Promotion Committee)". 3 4 2 1 Rs. 5000-150-8000 Selection-cum-General Central Service Deputy Office Superin-6 (2000) Pas . 9 300 - 34 800 Seniority Group 'C' Non-gazetted tendent Level I Ministerial Rs 4200 Grade Pas . 9 10 7 Not applicable Not applicable Not applicable Not applicable No .12 11 From amongst Deputy Office Superintendents Level-II/Steno-By Promotion graphers (Gr. II) with five years regular service in the grade.

U

14 13 "Group 'C' Departmental Promotion Committee: Not applicable 1. Narcotics Commissioner/Chief Controller of Factories (whosoever is senior)—Chairman 2. Narcotics Commissioner/Chief Controller of Factories (whosoever is Junior)-Member 3. Deputy Narcotics Commissioner (or) General Manager Government Opium & Alkaloid works undertaking. Assistant Narcotics Commissioner (Hqrs.) (The cases of whosoever's jurisdiction are being considered)—Member (Where none of the above officers belongs to Scheduled Caste or Scheduled Tribe, a Group A officer from outside the Department belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribes shall also be associated as a member of Departmental Promotion Committee.)" 5 Deputy Office Superinten-Rs. 4500-125-7000 Selection-Cum-10 (2000) General Central Service dent Level-II. Seniority Gr. 'C' Non-Gazetted Rs. 5000-150-800 Ministerial. As 4200 at pai 5n PB-2 Not Not Not Not Not applicable applicable applicable applicable applicable 11 12 By Promotion From amongst: (i) U.D.C. (Upper Division Clerk) with 5 years regular service in the grade; and (ii) Stenographer (Gr. III) with 5 years regular service stenographer (Gr. III) will qualify in the Departmental examination in technical subjects. (iii) Promotion will be made from Upper Divisional Clerk and Stenographers in the ratio of 6:1 13 14 "Group 'C' Departmental Promotion Committee: 1. Narcotics Commissioner/Chief Controller of Factories (whosoever Not applicable is senior)—Chairman 2. Narcotics Commissioner/Chief Controller of Factories (whosoever is Junior)-Member 3. Deputy Narcotics Commissioner (or) General Manager Government Opium and Alkaloid works undertaking. Assistant Narcotics Commissioner (Hqrs.) (The cases of whosoever's iurisdiction are being considered)-Member (Where none of the above officers belongs to Scheduled Caste or Scheduled Tribe, a Group A officer from outside the Department belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribes shall also be associated as a member of Departmental Promotion Committee.)"

1	<u> </u>	2	3	4	No Aselectorasper
pper Divisio	n Clerk	81 (2000)	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted	Rs. 4000-100-6000	Seniority 7
			Ministerial.	Pus. 2400 C. P	agin PB-1
6	7		8	9	10
Not pplicable	Not applicable	No	t applicable	Not applicable	Not applicable
11				12	
By Promotion	1		with 8 years serv (ii) 25% by promot grade (against m	rice in that grade.	Lower Division Clerks 5 years service in the fy in the Departmental
24			Examination.	Division Clerks	
: *			L.D.C.s—Lower	Division	
		13			t applicable
is Innior)	_Member		oller of Factories (whosoever		
Assistant jurisdiction duled Trib	Narcotics Coum and Alka Narcotics Con are being of the above e, a Group A	ommissioner (F considered)—N officers belong cofficer from ou	or Iqrs.) (The cases of whosoever	r's -	
Assistant jurisdiction duled Trib	Narcotics Coum and Alka Narcotics Con are being of the above e, a Group A	ommissioner (F considered)—N officers belong cofficer from ou	or Hars.) (The cases of whosoever Member Is to Scheduled Caste or Sche Itside the Department belong Tribes shall also be associated	r's - - 1	5
Assistant jurisdiction duled Trib	Narcotics Coum and Alka Narcotics Con are being of the above e, a Group A eduled Caste per of Depar	ommissioner (F considered)—N officers belong cofficer from ou	or Hqrs.) (The cases of whosoever Member Is to Scheduled Caste or Sche Itside the Department belong Tribes shall also be associated Itside Committee.)" 3 General Central Service Group 'C' Non-Gazette Ministerial.	r's - - d Rs. 3050-75-395	(Seniority)
Assistant jurisdiction (where none duled Trib ing to Schaas a memb	Narcotics Coum and Alka Narcotics Con are being of the above e, a Group A eduled Caste per of Depar	ommissioner (Heconsidered)—Neconsidered)—Neconsidered officers belong to or Scheduled translated Promote 2 99 (2000)	or Hqrs.) (The cases of whosoever Member Is to Scheduled Caste or Sche Itside the Department belong Tribes shall also be associated Itside Committee.)" 3 General Central Service Group 'C' Non-Gazette Ministerial.	r's 4 Rs. 3050-75-395 d 4590. As . 5 2 (0 - 20, 2)	Seniority Seniority A pplicable as

9 10

(b) a physical handicapped person who is otherwise qualified to hold a clerical post but does not possess the said qualification in typewriting may be appointed subject to the condition that the Medical Board attached to the special Employment Exchange for handicapped or where there is no such Board the Civil Surgeon certifies that the said handicapped person is not in fit condition to be able to type.

Not 2 years applicable

11

12

85% by direct recruitment, 15% by promotion. 85% by direct recruitment

Note:

- (i) 15% of the vacancies in the grade of L.D.C. to be filled up by direct recruitment will be reserved by being filled up by Gr. 'D' employees (borne on regular establishment) subject to the following conditions; namely (a) Selection would be made through a departmental examination confined to such Gr. 'D' employees who fulfil the requirement of minimum educational qualification, namely, Matriculation or equivalent; (b) The maximum age for this examination would be 45 years (50 years for Scheduled Caste and Scheduled Tribe). (c) At least 5 years service in Gr. 'D' would be essential, (d) The maximum number of recruits by this method would limited to 15% of the vacancies in the cadre of LD Corner ing in a year unfilled vacancies would not be carried over,
- (ii) Educationally qualified Laboratory Attenders who have initially been recruited through the Employment Exchange can also compete for the post of Lower Division Clerk against 15% vacancies reserved for Group Di employees by allowing them to deduct the period or service rendered as Laboratory Attender including service if any, in Group D'earlier, from their actual age for the purpose of reckoning age limit. L.D.C.-Lower Division Clerk .

13

"Group C Departmental Promotion Committee:

14

Not applicable

- 1. Narcotics Commissioner/Chief Controller of Factories (whosoever is senior)—Chairman
- 2. Narcotics Commissioner/Chief Controller of Factories (whosoever is junior)-Member.
- 3. Deputy Narcotics Commissioner or General Manager, Govt. Opium and Alkaloid works undertaking.

Assistant Marcotics Commissioner (Hqrs.) (The cases of whosoever's iurisdiction are being considered)

4. Assistant Commissioner of Income-tax-Member-

(Where none of the above officers belongs to Scheduled Caste or Scheduled Tribe, a Group A Officer from outside the Deptt. belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribes shall also be associated as a member of Departmental Promotion/Committee,)"

1	2	3	4		5
Laboratory Attender	18 (2000)	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 2750-70-3800- 75-4400.	Not ap	
		8		9	10
6 7 18—27 years No	Matriculation or Board.	on or equivalent from a recog	nised University	Not applicable	2 years
			12		
By direct recruitment			Not applicable		
by direct rectainment				14	
13		-	Not app	plicable	
Not applicable					5
. 1	2	3	4	C. Lesti	
Stenographer (Gr. II)	05 (2000)	General Central Service,	Rs. 4500-125-7000	Selection	on-cum- ority
		Group 'C', Non-Gazetted,	Ps. 500-150-500	(as p	er GSR 449
		Ministerial. Ps.	9300-34,800	+4200G	grade 7.7.6
	to the state of th		5'm PB-2		
6 77	of This	- 8		9	Not
		Not applicable		No	
Not No		.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			applicable
Not No applicable					applicable
applicable			12		applicable
applicable		From amongst stend	ographers Gr. III po	essessing a	speed of 120/
applicable		From amongst stend 100 words per mi in Hindi shorthan	12 ographers Gr. III po inute in English or I nd and 40 words per , in Hindi typewriti	00/80 word minute in	speed of 120/ Is per minute English type-
applicable		From amongst stend 100 words per mi in-Hindi shorthan writing (30 w.p.m.	ographers Gr. III po inute in English or I	00/80 word minute in	speed of 120/ Is per minute English type-
applicable	13	From amongst stend 100 words per mi in-Hindi shorthan writing (30 w.p.m.	ographers Gr. III po inute in English or I	00/80 word minute in	speed of 120/ Is per minute English type-
applicable 11 By promotion		From amongst stend 100 words per mi in Hindi shorthan writing (30 w.p.m. in the grade.	ographers Gr. III po inute in English or I	minute in ng) with 5	speed of 120/ ls per minute English type- years service
applicable 11 By promotion "Group 'C' Departmental 1. Narcotics Commissione is senior)	Promotion Co er/Chief Contr	From amongst stend 100 words per mi in Hindi shorthan writing (30 w.p.m. in the grade.	ographers Gr. III po inute in English or I nd and 40 words per , in Hindi typewriti	00/80 word minute in ng) with 5	speed of 120/ ls per minute English type- years service
applicable 11 By promotion "Group 'C' Departmental 1. Narcotics Commissione is senior) 2. Narcotics Commissione soever is Junior)	Promotion Co er/Chief Contro	From amongst stend 100 words per mi in Hindi shorthan writing (30 w.p.m. in the grade. ommittee": oller of Factories (whosoever	ographers Gr. III po inute in English or I nd and 40 words per , in Hindi typewriti	00/80 word minute in ng) with 5	speed of 120/ ls per minute English type- years service
applicable 11 By promotion "Group 'C' Departmental 1. Narcotics Commissione is senior) 2. Narcotics Commissione soever is Junior) 3. Deputy Narcotics Commissione ment Opium & Alkaloic	Promotion Co er/Chief Contro er/Chief Contro missioner or G d Works under	From amongst stend 100 words per mi in-Hindi shorthan writing (30 w.p.m. in the grade. ommittee": oller of Factories (whosoever belier of Factories (who- deneral Manager, Govern- traking or	ographers Gr. III po inute in English or I nd and 40 words per in Hindi typewriti	00/80 word minute in ng) with 5	speed of 120/ ls per minute English type- years service
The applicable 11 By promotion "Group 'C' Departmental 1. Narcotics Commissione is senior) 2. Narcotics Commissione soever is Junior) 3. Deputy Narcotics Comment Opium & Alkaloid 4. Assistant Narcotics Consoever's jurisdiction are	Promotion Co er/Chief Contro er/Chief Contro missioner or Co d Works under mmissioner (H being consider	From amongst stend 100 words per mi in Hindi shorthan writing (30 w.p.m. in the grade. ommittee": oller of Factories (whosoever belier of Factories (who- deneral Manager, Govern- r taking or qrs.) (The cases of who- red)	ographers Gr. III pointe in English or Ind and 40 words per in Hindi typewriti —Chairman —Member —Member —Member	00/80 word minute in ng) with 5	speed of 120/ ls per minute English type- years service
applicable 11 By promotion "Group 'C' Departmental 1. Narcotics Commissione is senior) 2. Narcotics Commissione soever is Junior) 3. Deputy Narcotics Comment Opium & Alkaloid 4. Assistant Narcotics Comment Opium & Alkaloid 5. Assistant Commissioner (Where none of the about Scheduled Tribe, a Group of the about the senior of the seni	Promotion Coer/Chief Control er/Chief Control missioner or Cod Works under mmissioner (H being consider of Income-tar ove officers being up 'A' officer T. shall also be	From amongst stend 100 words per mi in Hindi shorthan writing (30 w.p.m. in the grade. ommittee": oller of Factories (whosoever belier of Factories (who- deneral Manager, Govern- r taking or qrs.) (The cases of who- red)	ographers Gr. III pointe in English or Ind and 40 words per in Hindi typewriti —Chairman —Member —Member —Member —Member	00/80 word minute in ng) with 5	speed of 120 ls per minut English type years servic

			26			
1		2		4		5
Stenographer Gra	ade-III	8 (2000)	General Central Servic Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial,	Rs. 4000-100-60 Pr. 5210. 20,20 Pr. 2400 apr		on-cum- ority Log by 1119 7.3.04
6	-				9	10
18—27 years	7 No	(ii) Speed of 40 in Et writing) a speed candida	allation or equivalent. of 100 w.p.m. in English singlish typewriting (30 w.p. provided that where suff of 100 w.p.m. in stenogrates with a speed of 80 w.considered for appointm	icient candidates with aphy are not available p.m. in stenography	Not applicable	2 years fo direct recruits
		11		12		
			that grade, all	persons senior to him	in the grade	of service is shall also b
			considered for have rendered grade but have probation.	persons senior to him promotion notwithsta the prescribed qualifying completed succesfully	in the grade anding that t ang period of	shall also they may no service in the
		,	considered for have rendered grade but have	persons senior to him promotion notwithsta the prescribed qualifying completed succesfully	in the grade anding that t ang period of	shall also they may no service in the
		,	considered for have rendered grade but have probation.	persons senior to him promotion notwithsta the prescribed qualifying completed succesfully	in the grade anding that t ang period of	shall also they may no service in the
		13	considered for have rendered grade but have probation. LDCs — Lower	persons senior to him promotion notwithsta the prescribed qualifying completed succesfully	in the grade anding that t ang period of	shall also they may no service in the
 Narcotics Con soever is senio 	nmissioner r)	romotion Co /Chief Contro	considered for have rendered grade but have probation. LDCs — Lower mmittee":	persons senior to him promotion notwithsta the prescribed qualifying completed successfully Division Clerks. Not a	in the grade anding that t ing period of s the prescri	shall also they may no service in the
 Narcotics Con soever is senio 	nmissioner r)	romotion Co /Chief Contro	considered for have rendered grade but have probation. LDCs — Lower	persons senior to him promotion notwithsta the prescribed qualifying completed successfully Division Clerks. Not a	in the grade anding that t ing period of s the prescri	shall also they may no service in the
 Narcotics Con soever is senio Narcotics Con ever is junior) 	nmissioner r) nmissioner tics Comm	Promotion Co Promotion Co Promotion Control Promotion Control Promotion Control Promotion Control Promotion Control Promotion Control	considered for have rendered grade but have probation. LDCs — Lower mmittee"; oller of Factories (who-	persons senior to him promotion notwithsta the prescribed qualifying completed successfully Division Clerks. Not a	in the grade anding that t ing period of s the prescri	shall also they may no service in the
2. Narcotics Con ever is junior) 3. Deputy Narco	nmissioner r) nmissioner tics Comm doid Work	Promotion Co Promotion Co Promotion Control Promotion Control Promotion Control Promotion Control Promotion Control	considered for have rendered grade but have probation. LDCs — Lower mmittee"; oller of Factories (whooleneral Manager, Govt.	persons senior to him promotion notwithsta the prescribed qualifying completed successfully Division Clerks. Not a —Chairman —Member —Member	in the grade anding that t ing period of s the prescri	shall also be hey may no service in the

~ <		27		
	2	3	4	5
Dog-handler-cum- Assistant Sub-Inspe	06 (1998)	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted,	Rs. 3050-75-3950- 80-4590.	Selection-cum- Seniority N S
		Non-Ministerial.	P. 5-200 G. In.	
		8	P 15-1	10
o Not applicable	No	Not applicable	Not applicable	Not applicable
11			12	
		Promotion:		
3y promotion		(i) Promotion from aptitude for his(ii) The selection	om amongst Group 'D' poundling animals with five years will be made through an a	
		availability of	will be on functional base	
		s will be required to possess bass Dog-handling from BS recruitment.	ess required physica 3SF Academy within	
	13		14	11
Group 'C' Departr	mental Promotion Cor	nmittee:	Not applic	able
	missioner Appellate	—Chairman		
Assistant Comp	nissioner of Income-ta	x —Member		
All the three De	puty Narcotics Comm	nissioner —Member		
Note: Where none	of the above officers	belongs to S.C./S.T. catego partment belonging to S.C.	ry, /	
	2	3	4	5
aftry	6 (2000)	General Central Service, Grade 'D',	Rs. 2610-60-3150- S 65-3540.	Selection-cum- Seniority NS
		NorGazetted, Ministerial.	Prs. 520 - 20, 20 Trs. 1800 agade	200+
6	7	8	9	10
ot plicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable
11			12	
y promotion		Promotion: From amongst sep the grade.	oys and peons with 3 years	s regular service in

•	. 13		14	
Group 'D' Denar	tmental Promotion Co		Not applic	able
1. Deputy Narco	tics Commissioner/Ass	ommittee :		
Commissione	ties Commissioner/Ass	sistant Narcotics —Chairmai	1.	
2. Two Class I O	fficers	Members	- A	
3. Income-Tax O	officer Class I	-Member	and the same of the	
category, a Gra to Scheduled C	nmittee belongs to Sch ade 'A' Officer from or	the above Departmental neduled Caste/Scheduled Tribe atside the Department belonging tegory shall also associated demotion Committee.	g	
			0.0	5
1	2	3	4	
Havaldar	1 (2000)	General Central Service, Grade 'D' Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 2610-60-3150- 65-3540. Rs. 5 200-20, 200 f Rs. 1 800 G. P	Selection-cum- Seniority.
6	7	8	9	10
Not	Not	Not applicable	Not	Not
applicable	applicable		applicable	applicable
11			12 .	<u> </u>
By Promotion		Promotion: From amongst sepoy the grade.	ys and peons with 3 year	s regular, service
	13		14	
Group 'D' Depar	tmental Promotion Co	mmittee :	Not applica	ıble.
Deputy Narco Commmission	tics Commissioner/Ass er	sistant Narcotics —Chairman		
2. Two Class I O	fficers	Member		
3. Income-Tax O	fficer Class I	-Member		
Promotion Com category, a Gra to Scheduled Ca	imittee belongs to Sch de 'A' Officer from ou	he above Departmental eduled Caste/Scheduled Tribe tside the Department belonging ategory shall also associated motion Committee.	ng	
			Harris State	
1	2	3		4
Sepoys	522(2000)	General Central Service	Po 2010 1	5
<u>-</u>		Group 'D' Non-Gazetted	Rs. 2610-60-3150- 65-3540	Selection-Cum- Seniority
			8.5200-20, 200 to	
		3	o Pa ?	dy



9 10 7 8 Not 2 years 18-25 years Not. Middle Standard pass ~ applicable Note: The candidates shall be required to possess the applicable physical standards and to pass physical tests as specified below, namely:-Relaxable by 5 Cms, in the (a) For male candidates case of Garhwalies, (i) Physical standard (minimum) Assamese, Gorkhas & V. Height-157:5 cms. members of the Scheduled Chest-81 cms. Tribes (Fully expanded with minimum expansion of 5 cms.) (ii) Physical Test-Walking 1600 metres in 15 minutes. Cycling-8 kms. in the 30. minutes. (b) For Female candidates-(i) Physical standard (minimum) \(\) Height relaxable by 2.5 cms. and weight by 2 kgs. for Height—152 cms. Garhwalies, Assamese, Weight-48 kgs. Gorkhas and members of the (ii) Physical Test-Walking-1 km. in 20 minutes | Scheduled Tribes Cycling—3 kms. in 25 minutes J (The above Physical Standard/Test shall also be applicable for filling up the posts by promotion, if any). 120 119 Absorption :-By direct recruitment 75%, By absorption of Farashes, Chowkidars, Sweepers subject to the By absorption 25% following conditions:-(i) The Farashes/Chowkidar/Sweepers should have put in at least five years regular service. (ii) Only those Farashes/Chowkidars/Sweepers should be appointed as Sepoys who fulfil the physical standard prescribed for Sepoys and are below 45 years of age. (iii) The person to be appointed should possess at least elementary literary and give proof through a test of ability to read eigther English, Hindi or regional language: (iv) In case it is not possible to fill up the 25% of the vacancies in the cadre of sepoys by appointment of eligible suitable Farashes/Chowkidars/Sweepers the unfilled quota will lapse every year and will not be carried forward and such vacancies will be diverted to direct recruitment through Employment Exchange. 13 14 Group 'D' Departmental Promotion Committee:-Not applicable 1. Deyuty Narcotics Commissioner/Assistant Narcotics Commissioner-Chairman 2. Two Class I Officers-Members -3. Income-Tax Officers -- Member Note: Where none of the members of the Departmental Promotion Committee belong to Schedule Caste/Schedule Tribe Category a Grade A' Officar from outside Department belonging to Schedule Caste/Schedule Tribe Category shall also associate as a member of the Departmentality

Promotion Committee.

1	2	3	4	5
Parash	(General Central Service Group 'D' Non-Gazetted	Rs. 2550-55-2660-60 3200	Not applicable
	n]	Non-Ministerial	Po. 5200 - 20,200 +	
			8 PB-I. 9	
6	7			10
18-25 years	Not applies	able Primary School	Standard Pass Not applica	able 2 years
II	12		13	14
By direct recruitment	Not applicable	Group 'D' Departmenta	l Promotion Committee: -	Not applicable
		 Deputy Narcotics Co Narcotics Commissio 	mmissioner/Assistant ner —Chairman	
		2. Two Class — I Office		
		***	lass-I Officer —Member	
		Promotion Comm Caste/Schedule Tr	e members of Departmental hittee belongs to Schedule ribe Category shall also associa ne Departmental Promotion	te
			h litter	
1	2	3	4	5
Chowkidar	12 (2000)	General Central Service Grade 'D' Non-Gazette Non-Ministerial.		Not applicable
			Rg. 1800 a. Pay in	
6	7	. 8	PB-I 9	10
18-25 years	Not applicable	Primary School Stand	lard Pass Not applicable	2 years
				- 121
11	12		13	14
By Direct Recruitment	Not applicabl	e Group 'D' Departmen	ntal Promotion Committee:-	Not applicable
		1. Deputy Narcotics	Commissioner/Assistant	
		Narcotics Commis	sioner —Chairman	
		2. Two Class I Office	- Wichiners	
*		3. Income-Tax Office		determine of
		Mote: Where none of	f the members of the Depart-	
		Schedule Cast	otion Committee belongs to te/Schedule Tribe Category, a	
		Grade A OIII	Cer from outside the day	
		oolonging to	DUIDUIL Cacto/Colos 1 1 m to	
			also associate as a member of ntal Promotion Committee.	= -
	2	3		Fyri
faiwala 17		neral Central Service	4	5
	Gr	oup 'D' Non-Gazetted n-Ministerial	Rs. 2550-55-2660-60-3200	Not applicable

6	7		8	9	2 years
18-25 years	Not applicable	Prima	ary School Standard Pass	Not applicable	
			13		14
By Direct Rect	ruitment Not a	pplicable	Group 'D' Departmental Pron 1. Deputy Narcotics Commiss Narcotics Commissioner 2. Two Class I Officers 3. Income-Tax Officer Class-I Note: Where none of the me mental Promotion Cor Schedule Caste/Schedu a Grade 'A' officer fro ment belonging to Sch Tribe Category shall a member of the Depart Committee.	—Chairman —Members —Member mbers of the Departmentee belongs to all Tribe category, am oustide the departmented Caste/Schedule	Not applicable

[F. No. A-12018/12/98-AD.II.B]

Y. P. VASHISHAT, Under Secy.